

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश वर्मा (आर०ए०एस०)
 राजस्व वाद संख्या : 196 / 2025
 सी०सी०एम०एस० संख्या- 2025 / 638
 निर्णय दिनांक: 26.03.2026

मगनीराम बनाम राजस्थान सरकार

—:निर्णय:—

दिनांक: 26.03.2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह वाद-पत्र वादी जाति मेघवाल निवासी खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने के से वाद पत्र की पत्रावली संधारित की गयी। राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम खारिया बड़ा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 45 में वादी का नाम मेनाराम पुत्र बालुराम दर्ज है। जो गलत है। वादी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार मगनीराम पुत्र बालाराम अंकित है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

वाद पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट संलग्न है। शिविर प्रभारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मेनाराम पुत्र बालुराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम मगनीराम पुत्र बालाराम है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।



उप खण्ड अधिकारी
 सुजानगढ़


वाद-पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्तावेजात तथा आधार कार्ड, परियच पत्र, वोटर आईडी कार्ड एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंषा से वादी का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध होना सिद्ध होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा स्वीकार किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि वादी का नाम निम्नलिखित तालिका में कॉलम संख्या 05 में अंकित अनुसार है जो वादी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076-2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में अंकन निम्नानुसार दुरुस्त किया जाए-

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01 | खारिया बड़ा | 45 | मेनाराम पुत्र बालुराम | मगनीराम पुत्र बालाराम |

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2026 को लिखाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।




 (ओमप्रकाश कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 सुजानगढ़ (चूरु)

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जबा दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ
मगनीराम बनाम राज. सरकार
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती
मुकदमा नं० 196 रान 2025

यह मुकदमा आज वारते इन्फिसाल कतई रु-व-रु..... हाजरीएड.
मिनजानिब मुद्दई मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है
कि दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी
तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरू तहसील सुजानगढ की
संवत् 2075-2078 के राजस्व रिकॉर्ड के निम्न ग्राम की प्रविष्टि में अंकन निम्न तालिका
अनुसार दुरुस्त किया जाए-

| कं. स. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-----------|-------------|----------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01 | खारिया बड़ा | 45 | मेनाराम पुत्र बालुराम | मगनीराम पुत्र बालाराम |

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति
तहसीलदार राजस्व सुजानगढ को भिजवाई जावे।

चीज मुबलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक
को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 वर्ष 2026



उप
हस्ताक्षर
पद
अधिकारी
सुजानगढ

| मुद्दई | रुपया | पै. | मुद्दायलाई | रुपया | पै. |
|--|-------|-----|--|-------|-----|
| स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान | | | स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान | | |

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये